न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी के समक्ष,

दरबरा सिंह ,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य ,-प्रतिवादी

1977 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 350

26 नवंबर 1979

आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का X) - धारा 7 - हरियाणा खुरदरा अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश 1972 - खंड 3 - राज्य के बाहर खुरदरा अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध - प्रतिबंधित खाद्यान्न ले जा रहे ट्रक को सीमा से 50 गज की दूरी पर रोका गया - अपराध निर्यात करने के प्रयास का—चाहे प्रतिबद्ध हो—मानसिक परिवर्तन का सिद्धांत—प्रासंगिक कारक।

अभिनिर्धारित किया जाता है कि समय कारक और न केवल दूरी, गति के एक सेट में महत्व रखती है। एक ट्रक को 50 गज की दूरी तय करने में मुश्किल से कुछ सेकंड लगेंगे जबकि एक बैलगाड़ी को इतनी दूरी तय करने में कम से कम पांच से सात मिनट लगेंगे। मन में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक विचार करने का समय एक ऐसा विचार है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। जहां प्रतिबंधित खाद्यान्न ले जा रहे एक ट्रक को सीमा से लगभग 50 गज की दूरी पर रोका जाता है, यह कल्पना करना मुश्किल है कि आरोपी ने कुछ सेकंड के अंतराल में या 50 गज की दूरी के भीतर उसे न लेने का अपना मन बदल लिया होगा की ट्रक को आगे बढ़ाएं और अपराध न करें। यदि मन परिवर्तन के सिद्धांत को अतार्किक अंत तक दबाया जाता है, तो तैयारी और वास्तविक कमीशन के बीच की दूरी को कवर करने के प्रयास के दंडात्मक खंड के लिए शायद ही कोई क्षेत्र बचेगा। यदि यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि 50 गज की दूरी के भीतर हरियाणा राज्य के भीतर कोई गांव था या कोई सड़क या रास्ता था जो साइड वार्डों की ओर ले जा सकता था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब आक्रामक ट्रक को सीमा से 50 गज की दूरी पर रोका गया था, यह स्पष्ट संकेत था कि उसने इसे पार करने का इरादा किया था।

(पैरा 4)

याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र सिंह।

पी.एन. मकानी, वकील, ए.जी. हरियाणा के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी, (मौखिक)।

(1) इस आदेश से दो पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण होगा। 1977 का क्रिमिनल रिवीजन नंबर 350 दरबारा सिंह उर्फ दलबारा सिंह के कहने पर है, जिन्हें हरियाणा खुरदरे अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1972 (संक्षेप में आदेश के रूप में संदर्भित) के खंड 3 का उल्लंघन करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दोषी ठहराया गया है और जिनको भुगतान करने की सजा सुनाई गई है जो कि रुपये का जुर्माना 2,000, डिफ़ॉल्ट पर छह महीने का कठोर कारावास है। वह ट्रक संख्या पीयूपी-8481 का चालक पाया गया, जो उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए हरियाणा से पंजाब तक 95 बैग बाजरा की तस्करी के प्रयास में शामिल पाया गया था। 1977 का क्रिमिनल रिवीजन नंबर 375 गुरबक्श सिंह के कहने पर है, जो खुद को बाजरे की उपरोक्त 95 बोरियों का मालिक होने का दावा करता है। ट्रायल कोर्ट ने बाजरे को जब्त करने का आदेश दिया और उस आदेश को अपीलीय अदालत ने बरकरार रखा है। दरबारा सिंह ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी है जबकि गुरबक्स सिंह ने ज़ब्ती के आदेश को चुनौती दी है।

(2) अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 23/24 नवंबर, 1973 की मध्यरात्रि को ए.एस.आई. मोती लाल, पी.डब्लू. 3 ने संभवतः गुप्त सूचना के आधार पर हरियाणा के गांव डंडोली के क्षेत्र में स्थित खनौरी माइनर के पुल पर नाकाबंदी की। यह भी आरोप लगाया गया है कि खनौरी माइनर के पुल के पार पंजाब की सीमा लगभग 50 गज है और पहली पंजाब की ओर का गाँव शेरगढ़ है। यह भी आरोप लगाया गया है कि पुल से दक्षिणी तरफ एक फर्लांग पर गांव डंडोली (हरियाणा) और उत्तरी तरफ दो फर्लांग पर गांव शेरगढ़ (पंजाब) है। यह कथित किया है कि सुबह करीब चार बजे ट्रक संख्या पीयूपी-8481 डंडोली गांव की ओर से आया और उसकी दिशा पंजाब के शेरगढ़ की ओर जाने का संकेत दे रही थी। उक्त ए.एस.आई. द्वारा ट्रक को रोका गया। मोती लाल, पीडब्लू-3, जिनकी उस समय कंपनी में ओ. पी. मिगलानी पीडब्लू-1, सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, और प्रेम दास दीवान, पीडब्लू-2, एक निरीक्षक कराधान थे। तलाशी लेने पर ट्रक में 95 बोरी खुरदरा अनाज पाया गया, जिस पर नियंत्रण आदेश निर्विवाद रूप से लागू था। इसे कब्जे में ले लिया गया और जांच पूरी होने के बाद सामान्य प्रक्रिया में मामले को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जींद के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया। अभियोजन पक्ष ने ओ. पी. मिगलानी पीडब्लू-1, प्रेम दास दीवान पीडब्लू-2 और ए.एस.आई. मोती लाल पीडब्लू-3 से पूछताछ की और फिर अपना मामला बंद कर दिया। आरोपी दरबारा सिंह ने स्वीकार किया कि ट्रक में 95 बोरी बाजरा पाया गया, लेकिन उक्त ट्रक की बरामदगी के स्थान से इनकार किया और कहा कि इसे

गांव हंसदेहर (हरियाणा) में पीडब्ल्यूज़ द्वारा कब्जे में ले लिया गया था, जहां इसमे बाजरा लोड किया जा रहा था। उस गांव को दूसरे याचिकाकर्ता गुरबक्श सिंह का निवास स्थान बताया गया है, जिन्होंने दावा किया था कि वह उक्त गांव के हकदार हैं और वह 95 बोरी बाजरा पैदा करने में सक्षम हैं, जिसे लोड करने के बाद उन्होंने ले जाने के लिए भेजा था, नरवाना (हरियाणा के क्षेत्र के भीतर) तक। अभियुक्त द्वारा इस बात से इनकार किया गया कि खाद्यान्न को पंजाब ले जाने का प्रयास किया गया था और उसने डीडब्ल्यू-1 गुरबक्स सिंह से समर्थन मांगा। ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि का आदेश दर्ज किया और आरोपी दरबारा सिंह को तीन महीने के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अपील पर कारावास की मूल सजा को रद्द कर दिया गया लेकिन जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया। इस प्रकार यह मामला पुनरीक्षण में इस न्यायालय में आया है और खाद्यान्न को जब्त करने के संबंध में अन्य पुनरीक्षण के साथ रखा गया है, जिसे एक साथ निपटाया जाना है।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि पंजाब सीमा उस स्थान से लगभग 50 गज की दूरी पर थी जहां ट्रक को रोका गया था। उनके अनुसार, आरोपी-याचिकाकर्ता के कृत्य को, अधिक से अधिक, अपराध की तैयारी के रूप में माना जा सकता है और इसे एक प्रयास के रूप में नहीं कहा जा सकता है। इसके समर्थन में उन्होंने **मल्कियत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य**[1], और **नासु शेख और अन्य बनाम बिहार राज्य**[2], में रिपोर्ट किए गए उच्चतम न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा करने की मांग की। पहले मामले में, संबंधित आदेश का उल्लंघन करने वाला वाहन एक ट्रक था जो सीमा से लगभग 18 किलोमीटर दूर पाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने माना कि ट्रक-चालक किसी गांव में रास्ते में अपनी यात्रा को रोकने की संभावना के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाए गए अंतिम तक पहुंचने से अपना मन बदल सकता था। जाहिर तौर पर उस प्राधिकारी का वर्तमान विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। बाद के मामले में, हमलावर वाहन बैलगाड़ियाँ थीं जो बिहार-पश्चिम बंगाल सीमा से 75 गज की दूरी पर पाई गईं और यहाँ तक कि अभियोजन पक्ष ने भी अपराध की नींव रखने के लिए दूरी का उल्लेख नहीं किया था। बाद में सबूत आया कि दूरी इतनी ही थी। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की समानता पर, यह आग्रह किया गया कि उस मामले में 75 गज की दूरी और वर्तमान मामले में 50 गज की दूरी व्यावहारिक रूप से समान है और उस बल पर आरोपी-याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि आरोपी-

[1] ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 713
[2] ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 1610.

याचिकाकर्ता ने पंजाब की ओर आगे न बढ़ कर अपना मन बदल लिया होगा, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दो फैसलों में सामने आया था।

(4) मैंने प्रचारित दृष्टिकोण पर सावधानीपूर्वक विचार किया है लेकिन मैं खुद को इस सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ पाता हूं। समय कारक और न केवल दूरी, गति के एक सेट में महत्व रखती है। एक ट्रक को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति मानकर 50 गज की दूरी तय करने में मुश्किल से चार सेकंड लगेंगे, जबकि एक बैलगाड़ी को इतनी दूरी तय करने में कम से कम पांच से सात मिनट लगेंगे। मन में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक विचार करने का समय एक ऐसा विचार है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। मौजूदा मामले में, यह कल्पना करना मुश्किल है कि आरोपी-याचिकाकर्ता ने दो से चार सेकंड के अंतराल में या 50 गज की दूरी के भीतर, अपने ट्रक को आगे नहीं ले जाने और अपराध नहीं करने का अपना मन बदल लिया होगा। . यदि मन परिवर्तन के सिद्धांत को अतार्किक अंत तक दबाया जाता है, तो तैयारी और वास्तविक कमीशन के बीच की दूरी को कवर करने के प्रयास के दंडात्मक खंड के लिए शायद ही कोई क्षेत्र बचेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब हमलावर ट्रक को खनौरी माइनर के पुल पर रोका गया था, तो यह स्पष्ट संकेत था कि वह इसे पार करने का इरादा रखता था, क्योंकि उसने उस क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया था जो खनौरी के दक्षिणी किनारे पर था। खनौरी माइनर के उत्तरी किनारे पर, एकमात्र सड़क जो उपलब्ध थी वह शेरगढ़ गांव की ओर थी जो पिमियाब सीमा पर स्थित पुल से 2 फर्लांग और 50 गज आगे की दूरी तय करती थी। सबूतों या जांच फ़ाइल से ऐसा कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला जिससे दूर-दूर तक पता चल सके कि पुल पार करने के बाद हरियाणा का कोई गाँव था या कोई सड़क या रास्ता था जो किनारे की ओर जा सकता था। यहां तक कि बचाव पक्ष का यह सुझाव भी कि अनाज गुरबक्श सिंह का था और उसने इसे हंसदेहर गांव से लोड किया था, वह भी खनौरी माइनर के दक्षिणी किनारे पर है, और इससे आरोपी-याचिकाकर्ता को मदद नहीं मिलेगी। मामले का यह पहलू ज्यादा विवाद पैदा नहीं करता है। विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि पुलिस दल को पूर्व सूचना थी और अभियोजन मामले की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए जनता के कुछ सदस्यों को अपने साथ जोड़ना उनका दायित्व था। पुलिस दल ने नाकाबंदी कर रखी थी और आरोपी-याचिकाकर्ता की गतिविधि का केवल अनुमान था। इसे ज़मानत के स्तर पर नहीं माना जा सकता है, ताकि आधिकारिक गवाहों को समर्थन देने के लिए एक गवाह उपलब्ध होना चाहिए या होना चाहिए। आधिकारिक गवाहों के खिलाफ कोई दुश्मनी का सुझाव नहीं दिया गया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें आरोपी-याचिकाकर्ता को अपराध में झूठा फंसाया जाना चाहिए। निचली अदालतों के निष्कर्ष के अनुसार और जो चुनौती देने योग्य नहीं रहा है, यह आरोपी-याचिकाकर्ता ही था जो आपत्तिजनक वाहन चला रहा था। इस प्रकार यह दोषसिद्धि अच्छी तरह से आधारित प्रतीत होती है और इसे तदनुसार माना जाता है।

(5) तब यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त-याचिकाकर्ता की सजा गंभीर है। किसी न किसी तरीके से विवेक का प्रयोग करने का सुझाव देने के लिए कुछ उदाहरणों का हवाला दिया गया। वे उल्लेखनीय प्रतीत नहीं होते, क्योंकि विवेक पर कोई मिसाल नहीं हो सकती। सज़ा की अवधारणा बहुआयामी है। जो चीज़ एक स्थिति के लिए उपयुक्त हो सकती है वह दूसरी के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त हो सकती है। अपराध के समय आरोपी-याचिकाकर्ता की आयु 22 वर्ष थी। 2,000 रुपये जुर्माने की सजा को बिना किसी ठोस कारावास के किसी भी दृष्टि से कठोर नहीं कहा जा सकता। मामले में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार 1977 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 350 विफल हो गई है और इसे खारिज कर दिया गया है।

(6) परिणामस्वरूप, और इससे कोई बच नहीं सकता, जिस खाद्यान्न के संबंध में अपराध किया गया था उसे जब्त कर लिया जाना चाहिए। न्यायालय का विवेक इसमें शामिल नहीं है; यह रिसेप्टेकल्स और वाहनों से संबंधित है, न कि उन वस्तुओं से, जिनका निर्यात नियंत्रण आदेश द्वारा निषिद्ध था। अपराध सिद्ध होने पर राज्य उन्हें जब्त करके प्राप्त कर लेता है। परिणाम में, 1977 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 375 भी विफल हो जाता है और यहआदेश दिया जाता है।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पोस्टिंग का स्थान: भिवानी